FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/06/2024 16:23 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 21/04/2023 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2024

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/06/2024 **Time (समय):** 15:47 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/06/2024 15:47 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 120 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): कार्यालय खण्ड एव,पंचायत अधिकारी रादौर यमुनानगर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Inspector Suresh Kumar 50 KKR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 02/04/1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.): Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**ACB UNIT, Yamunanagra, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**ACB UNIT, Yamunanagra, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9896207223

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	शरण कुमार		Father's Name: श्री कुन्दल लाल	1. बापौली,RADAUR,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
2	रोहित शर्मा		Father's Name: राज पाल सरपंच	1. बापौली,RADAUR,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
3	धर्मेन्द्र पटवारी			1. बापौली,RADAUR,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
4	विरेन्द्र कम्बोज ग्राम सचिव			1. बापौली,RADAUR,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा मे,प्रबंधक थाना,थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,पंचकूला मण्डल, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है कि कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के यादि क्रमांक 6630/Complaint/166/PKL/2023 dated 21.04.2023 की अनुपालना में शिकायत क्रमांक शिकायत/166/पंचकूला /2023 दिनांक 23.05.2023 पडताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था, कि श्री शरण कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव बापौली, थाना रादौर, जिला यमुनानगर के प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र न होने के बावजूद शरण कुमार, उसके भतीजे श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री राजपाल सरपंच ग्राम पंचायत बापौली निवासी गांव बापौली, थाना रादौर, जिला यमुनानगर व भतीजे श्याम लाल उपरोक्त ने कार्यालय खण्ड एवं पंचायत अधिकारी, रादौर, जिला यमुनानगर के अधिकारियों से सांठगांठ करके योजनाबद्ध तरीके से शरण कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 138000/-रूपये का अनुचित लाभ दिलवाकर सरकार के धन का गबन किया है।

आरोप की पडताल मन निरीक्षक द्वारा की गई थी। पडताल पर पाया गया कि मकान बनाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के नाम पर मोटर युक्त/दो पहिया/तिपहिया/चैपहिया वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए, जबकि कार्यालय उप-मण्डल अधिकारी (SDM) रादौर जिला यमुनानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शरण कुमार एक स्कूटी Reg. No. HR-92- 1023 (TVS Jupiter (BS-IV) white Colour) dated 17.11.2017 का मालिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामिण के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम पर 50000/-रूपये या अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, जबकि श्री धर्मेंद्र पटवारी गांव बापौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शरण कुमार गांव बापौली में 19 कनाल 03 मरले भूमि का स्वामी है तथा रपट नं0 415 दिनांक 03.05.2019 के अनुसार यह भूमि 230000/-रूपये के बदले OBC बैंक रादौर के पास आड़ रहन (KCC) है। सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि गांव बापौली के बीच स्थित शरण कुमार के पुराने मकान के स्थान पर एक खाली प्लॉट स्थित है। शरण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हेतु दो अलग-2 निर्माणाधीन मकान के सामने फोटो खिंचवाई हुई है जिनमें से एक मकान उसके खाली पड़े उक्त प्लॉट के सामने स्थित है जो कि सुदेश रानी पत्नी रामपाल शर्मा निवासी गांव बापौली का है और दूसरा मकान कोई अन्य अज्ञात मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जिस भी व्यक्ति का मकान बनाया जाता है उसके मकान के भूमि की जिओ टैगिंग की जाती है। वैबसाईट से प्राप्त जीओ टैगिंग डिटेल में मकान की लोकशन 3 अलग-2 स्थानों की दिखाई गई है, जबकि यह लोकेशन केवल एक ही स्थान की होनी चाहिए थी। आरोपी शरण कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव बापौली थाना एवं तहसील रादौर जिला यमुनानगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं था और उसके द्वारा उपरोक्त योजना के अन्तर्गत गलत तरीके से लाभ स्वरूप 138000/-रूपये की राशि प्राप्त की जानी पाई गई है। गांव बापौली से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने हेतु पात्र/अपात्र व्यक्तियों की तसदीक के लिये गठित कमेटी रोहित शर्मा तत्कालीन सरपंच गांव बापौली (अध्यक्ष) तथा धर्मेन्द्र सिंह पटवारी गांव बापौली (सदस्य) व श्री विरेन्द्र काम्बोज ग्राम सचिव गांव बापौली (सदस्य) द्वारा शरण कुमार पुत्र कुन्दन लाल निवासी गांव बापौली से मिलीभगत करके उसे उक्त योजना का लाभ लेने के लिये अपात्र होते हुए भी गलत तरीके से अपनी रिपोर्ट में पात्र दर्शाया हुआ है। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी शरण कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव बापौली थाना एवं तहसील रादौर जिला यमुनानगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु लाभ स्वरूप 138000/-रूपये की राशि प्राप्त हुई थी। शरण कुमार उपरोक्त, रोहित शर्मा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बापौली, धर्मेन्द्र सिंह पटवारी गांव बापौली तथा विरेन्द्र काम्बोज ग्राम सचिव गांव बापौली के विरूद्व धारा 420, 409, 120बी भा0दं0सं0 तथा 13 1 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने का सुझाव देकर सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला मण्डल पंचकूला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 130/भ्र0नि0ब्यू0/पंचकूला दिनांक 12.02.2024 के अनुसार कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला को भेजी गई थी। जो कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 6620/Complaint/166/PKL/2023 Dated 29.02.2024 के अनुसार शरण कुमार उपरोक्त, रोहित शर्मा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बापौली, धर्मेन्द्र सिंह पटवारी गांव बापौली तथा विरेन्द्र काम्बोज ग्राम सचिव गांव बापौली के विरूद्व अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए थे। जिसकी अनुपालना में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला मण्डल पंचकूला के पत्र क्रमांक 209/भ्र0नि0ब्यू0/पंचकूला दिनांक 13.03.2024 के अनुसार शरण कुमार उपरोक्त, रोहित

शर्मा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बापौली, धर्मेन्द्र सिंह पटवारी गांव बापौली तथा विरेन्द्र काम्बोज ग्राम सचिव गांव बापौली के विरूद्व अभियोग अंकित करने के लिये धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्ति हेतु कार्यालय मण्डल आयुक्त, अम्बाला मण्डल अम्बाला, अम्बाला छावनी को सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई थी। कार्यालय मण्डल आयुक्त, अम्बाला मण्डल अम्बाला, अम्बाला छावनी के पत्र क्रमांक/के0सी0/विजीलेंस/2361 अम्बाला छावनी, दिनांक 10.04.2024 अनुसार सत्यापन रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्व अभियोग अंकित करने के लिये धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 आवश्यक अनुमति प्राप्त हुई है।

अतः शरण कुमार उपरोक्त, रोहित शर्मा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बापौली, धर्मेन्द्र सिंह पटवारी गांव बापौली तथा विरेन्द्र काम्बोज ग्राम सचिव गांव बापौली के विरूद्व धारा 420, 409, 120बी भा0दं0सं0 तथा 13 1 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख तैयार करके सिपाही सुभाष चन्द नं0 709/पंचकूला के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला मण्डल पंचकूला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट स्पैशल जज न्यायालय यमुनानगर व उच्च अधिकारियो की सेवा में भिजवाई जाए। अभियोग के आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करके उसको असल लेख सहित अभियोग की पुलिस फाईल सौंपी जाए।

अजः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र यमुनानगर। SD Suresh निरीक्षक सुरेश कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उपकेन्द्र यमुनानगर। दिनाँक 03.06.2024 समय 12:05 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 05 दिनाँक 03.06.2024 धारा 420, 409, 120बी भा0दं0सं0 तथा 13 1 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Suresh Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 50 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kushal Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1987				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1979				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1981				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	1975				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)